

19/12/24

पत्रावली पेश हुई। डिफ़ीटर अधिवक्ता
उपरोक्त विवादाग्रस्त आशपी से संबंधित
शिवश्व रिपोर्ट प्रमावती पेश हुई प्रमावती
के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश दिनांक
18/9/2008 की पालना हो चुकी है
जिस कारण से प्रकरण में कोई कार्यवाही
अपेक्षित नहीं है। पत्रावली बमकर से कम
होकर दफ़्तर दफ़्तर हो।

